

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र. CT-11-1-0002-2024-Sec-2-पांच(CT)(01).— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं.16) की धारा 6 सहपठित मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के नियम 152 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उक्त नियमों के नियम 150 एवं 151 में वर्णित रीति से पंजीयन हेतु अधिसूचित दस्तावेजों के संबंध में, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0012-2024-Sec-2-पांच(CT) (22), दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 द्वारा सृजित सायबर पंजीयन कार्यालय में पदस्थ पंजीयन अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता मध्यप्रदेश के समस्त उप जिलों पर विस्तारित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2026

क्र. CT-11-1-0002-2024-Sec-2-पांच(CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-11-1-0002-2024-Sec-2-पांच(CT)(01), दिनांक 23 जनवरी 2026, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd January 2026

No. CT-11-1-0002-2024-Sec-2-V(CT)(01).— In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), read with clause (a) of Rule 152 of the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939, the State Government hereby extends, in respect of the documents notified for registration in the manner prescribed under Rules 150 and 151 of the said Rules, the territorial jurisdiction of the Registering Officer posted in the Cyber Registration Office created *vide* Departmental Notification No. 3-3-4-0012-2024-Sec-2-Five (CT) (22), dated the 27th October, 2025, over all the sub-districts of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH OGREY, Addl. Secy.